राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1288/2016/जोधपुर

1. श्रीमती गायत्री सुखानी पत्नी श्री गोविन्द सुखानी जाति सिन्धी निवासी मकान नंबर सी–152 द्वितीय विस्तार कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
2. श्री माधवदास पुत्र श्री मेठाराम इसरानी जाति सिन्धी निवासी मकान नंबर सी 151 द्वितीय विस्तार कमला नेहरू नगर, जोधपुर। ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर।
2. पन्नेचंद सिंघवी पुत्र श्री रतनचंद सिंघवी जाति ओसवाल, निवासी प्लॉट नम्बर–4, पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अजयपाल ढिढारिया
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी श्रीमती गायत्री सुखानी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), जोधपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण व क्रेता पन्नेचंद के बीच एक अंपजीकृत दस्तावेज बेचान इकरारनामा मालियत 1,25,00,000/– रुपये अक्षरे एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये की शिकायत प्रस्तुत होने पर उक्त मालियत पर देय मुद्रांक कर रुपये 6,25,000/– व सरचार्ज रुपये 62500/– कुल रुपये 687500/– जमा कराने हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 54 के तहत अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाने पर कमी मुद्रांक का प्रकरण दर्ज किया गया जिसमें निर्णय दिनांक 20.04.2016 द्वारा अपीलार्थीगण से कुल 7,26,000/– रुपये वसूल करने के आदेश जारी किये गये है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 65 के परन्तु के प्रावधान की पालना में वसूली राशि के 50 प्रतिशत का संदाय नहीं किया है जिससे निगरानी ग्राहयता के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अतः निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावें।

.....लगातार 2

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

5. पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि पत्रावली में संलग्न राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 65 के परन्तुक की पालना में वसूली राशि के 50% का संदाय किये जाने का समाधानप्रद सबूत संलग्न नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 22708 दिनांक 15.07.2016, 25514 दिनांक 19.08.2016 तथा 29717 दिनांक 29.07.2016 द्वारा प्रार्थी के अभिभाषकगण को पत्र लिखकर सूचित किया गया है परन्तु उसके बावजूद भी 50% राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

6. इस प्रकार प्रकरण में निगरानीकर्ता ने इस निगरानी के साथ वसूली राशि के 50 प्रतिशत राशि संदाय करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में निगरानीकर्ता को बार–बार अवसर भी प्रदान किया है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार पुनरीक्षण आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि वसूली राशि के 50 प्रतिशत का संदाय किये जाने का समाधानप्रद सबूत उसके साथ नहीं लगा हुआ हो जिससे प्रकरण ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ग्राहय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थू राम)
सदस्य